# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | आनंद सिंह बनाम दौलतराम<br>मु.नं.- 31/23 किस्म - T.S | |
| | को पेश हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>मण्डावर (दौसा)<br><br>27/3/25<br>अभिभाषकों द्वारा कार्य स्थगन के कारण न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28/3/25 को पेश हो।<br><br>28/3/25<br>पत्रावली पेश हुई। वकिल उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर रिकार्ड के साथ नत्थी हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>मण्डावर (दौसा) | |

# राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

| मुकदमा संख्या | तारीख रजू | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 31/23 | 26.06.23 | 28.03.25 |

**बउनवान**

1. आनन्द सिंह पुत्र भंवरसिंह, निवासी सरावली, तहसील मण्डावर, दौसा।
2. गिरधारी सिंह पुत्र भंवरसिंह, निवासी सरावली, तहसील मण्डावर, दौसा।
3. बनैसिंह पुत्र भंवरसिंह, निवासी सरावली, तहसील मण्डावर, दौसा।
4. मुकुन्दसिंह पुत्र भंवरसिंह, निवासी सरावली, तहसील मण्डावर, दौसा।
5. राजेन्द्र सिंह पुत्र भंवरसिंह, निवासी सरावली, तहसील मण्डावर, दौसा।

..प्रार्थीगण

**बनाम**

1. दौलतराम पुत्र रामसहाय, निवासी सरावली, तहसील मण्डावर, दौसा।
2. काडूराम पुत्र रामसहाय, निवासी सरावली, तहसील मण्डावर, दौसा।
3. बत्तीलाल पुत्र रामसहाय, निवासी सरावली, तहसील मण्डावर, जिला दौसा।
4. मक्खनराम पुत्र रामसहाय, निवासी सरावली, तहसील मण्डावर, दौसा।
5. पून्या पुत्र भूरया, निवासी सरावली, तहसील मण्डावर, दौसा।
6. चन्दी देवी पत्नी मोहक राम, निवासी नांगल सुमेरसिंह, तहसील मण्डावर, दौसा।
7. उप पंजीयक, तहसील मण्डावर, दौसा।
8. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावर, दौसा।

..अप्रार्थीगण

**उपस्थित**

1. अभिभाषक प्रार्थीगण – श्री धर्मसिंह राजपूत, श्री रामावतार सिंह तंवर।
2. अभिभाषक अप्रार्थीगण – श्री ओपी बेनीवाल, श्री गोपाल सिंह।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

**प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत**
**धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**निर्णय**

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि विवादित आराजीयात खसरा सं. 205/755 रकबा 0.44 हैक्टे., 206 रकबा 0.06 हैक्टे., 207/756 रकबा 1.01 हैक्टे., 208/508 रकबा 0.53 हैक्टे., कुल किता 4 कुल रकबा 2.04 हैक्टे. वाके ग्राम सरावली तहसील मण्डावर जिला दौसा राज. में स्थित है। विवादित आराजीयात में प्रार्थीगण का प्रत्येक का 1/20 – 1/20 हिस्सा है अर्थात सभी का 1/4 हिस्सा तथा अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 के पिता रामसहाय का 1/4 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 5 का 1/4 हिस्सा, तथा शेष 1/4 भाग अप्रार्थी सं. 6 का मौजूद जमाबंदी है अर्थात विवादित आराजीयात प्रार्थीगण एवं अप्राथी सं. 1 लगायत 4 के पिता रामसहाय एवं 5 व

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

6 की सहखातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है जिसमें सभी सहखातेदार अपने अपने हिस्से के अनुसार काबिज चले आ रहे है जिसमें खातेदार रामसहाय की मृत्यु हो चुकी है जिसके अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 विधिक वारिस है तथा उसके तरके पर काबिज है। दिनांक 21.06.23 को प्रार्थीगण अपने हिस्से की आराजी में सूल बबूल कर फसल बुबाई कर रहे थे कि अप्रार्थी सं. 1 लगायत 6 द्वारा उक्त आराजी को बिना विधिवत विभाजन किये ही निर्माण कार्य कराने हेतु पत्थर बजरी डलवा रहे थे। प्रार्थीगण द्वारा उनसे कहा कि अपने अभी उक्त आराजी का विधिवत तकास्मा नहीं हुआ है, बिना विधिवत तकारमा हुये ही आप इस आराजी के किसी हिस्से पर निर्माण कार्य नहीं कर सकते हो। तब ये लोग बोले कि हम तो उक्त आराजी में निर्माण कार्य करेगें तथा अच्छी अच्छी भूमि पर हम कब्जा करेगे, हम तो उक्त कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तन करेगे। तब प्रार्थीगण ने उनसे ऐसा नहीं करने तथा उक्त आराजी का विधिवत तकास्मा तहसील कार्यालय में कराने का कई बार निवेदन किया लेकिन वो किसी प्रकार से मानने को तैयार नहीं है। इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया जाना लाजिम आया है। अतः अर्ज है कि अप्रार्थीगण को दौराने दावा पाबंद फरमाया जावे कि वो विवादित आराजीयात की मौके एवं राजस्व रिकार्ड की स्थिति को यथावत बनाये रखे, उसमें किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे तथा कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित नहीं करे। प्रार्थीगण के हिस्से व कब्जे की भूमि में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी बेजा ना तो स्वयं करे और ना ही किसी अन्य से ही करावें, रहन बेचान या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करे।

अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुतिकरण के समय अप्रार्थीगण के विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के लिए बहस का निवेदन किया। अभिभाषक प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी कि अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात की मौके एवं राजस्व रिकार्ड की स्थिति को यथावत बनाये रखे, उसमें किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे, कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित नहीं करे, प्रार्थीगण के हिस्से व कब्जे की भूमि में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी बेजा ना तो स्वयं करे और ना ही किसी अन्य से ही करावें।

अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 6 की ओर से न्यायालय में जवाब प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 21.06.23 को प्रार्थीगण की अप्रार्थीगण से किसी प्रकार की बातें नहीं हुई, उक्त विवादग्रस्त आराजी का आज से करीब 46–47 वर्ष पूर्व से ही मौके पर विभाजन हो चुका है और सभी खातेदार उसी बंटवारे के अनुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। अप्रार्थीगण द्वारा अपनी आराजी की सिंचाई के लिये बोरिंग कर रखी है और रात्रि के समय सिंचाई करने, वर्षा के दिनों में छुपने के लिये एवं कृषि औजार रखने के लिये उक्त बोरिंग पर कोटरीनुमा कमरे का निर्माण करना चाहते है लेकिन प्रार्थीगण जबरदस्ती लाठी के बल पर अप्रार्थीगण के कार्यों में अडचन डाल कर नाजायज रूप से परेशान करते है। अप्रार्थीगण करीब 46–47 वर्षों से जहॉ काबिज काश्त थे, उसी हिस्से पर आज काबिज

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

काश्त है। अप्रार्थीगण द्वारा कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तन करने की किसी प्रकार की धमकी नहीं दी बल्कि प्रत्येक खातेदार कृषि सुधार हेतु निर्माण करने को स्वतंत्र है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण से उक्त आराजी का विधिवत तकास्मा के लिये कभी नहीं कहा क्योंकि आज तक किसी प्रकार की समस्या पैदा नहीं हुई। अप्रार्थीगण जब से उक्त आराजीयात के खातेदार बने, तब से आज तक अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। इसी कब्जे के अनुसार अलग–अलग खाता कायम कराने को तैयार है। प्रार्थीगण द्वारा बेंबुनियाद गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। अप्रार्थीगण अपने हिस्से के अनुसार क्रय करने के दिन से ही काबिज काश्त है तथा अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात में सहखातेदार है, इसलिये प्रार्थीगण का कोई प्रथम दृष्टया केस साबित नहीं है और ना ही प्रार्थीगण के पक्ष में सुविधा का सन्तुलन ही है। अप्रार्थीगण अपने हिस्से अनुसार पूर्व से ही काबिज काश्त चले आ रहे है। यदि प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो वे अस्थाई निषेधाज्ञा की आड में प्रार्थीगण को बेदखल कर सकते है जिससे अप्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी। उक्त विवादग्रस्त आराजीयात भूडा रोड बांदीकुई मण्डावर रोड पर वाके ग्राम सरावली में स्थित है जिसका साबिक खसरा सं. 73 रहा है। साबिक खसरा सं. 73 का तत्कालीन खातेदार 1/4 भाग का खातेदार भगवानसिंह पुत्र डालूसिंह जाति राजपूत निवासी सरावली रहा है और भगवानसिंह का उक्त आराजीयात में सडक से पूर्व दिशा में हिस्सा व कब्जा काश्त था और भगवानसिंह ने अपने जीवनकाल में अपने हिस्से सडक से पूर्व दिशा में काश्त की व लाभान्वित होता चला आ रहा था जो कि करीब 80–85 वर्ष पूर्व से ही इसी अनुसार काबिज काश्त थे लेकिन तत्कालीन खातेदार भगवानसिंह राजपूत को जब रूपयों की आवश्यकता पडी तो उसने अपने सम्पूर्ण रकबा को दिनांक 07.07.1977 को रामसहाय पुत्र गिरधारी, पून्या पुत्र भूरया, धनपाल पुत्र भूरया जाति मीना निवासी सरावली को बेचान कर दिया गया और साबिक खसरा सं. 73 के उत्तर दिशा में आराजीयात के सटवा आम रास्ता है और तरफ पश्चिम में मण्डावर बांदीकुई रोड है और उक्त सम्पूर्ण चक का तीन पीढियों पूर्व उत्तर दक्षिण लाईन खेंचकर बटवारा किया गया था और इसी अनुसार विकय पत्र दिनांक 06.07.1977 में स्पष्ट रूप से खुलासा कर लिखा गया है और विक्रेता भगवानसिंह पुत्र डालूसिह राजपूत द्वारा केतागण रामसहाय पुत्र पून्या, धनपाल को कब्जा दिया था। अर्थात उक्त चक के सरावली गांव से पश्चिम दिशा में व बांदीकुई मण्डावर रोड के पूर्व दिशा में अप्रार्थीगण के पूर्वज रामसहाय, पून्या, धनपाल को कब्जा दिया था और आज भी अप्रार्थीगण उक्त बटवारे अनुसार अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। उक्त आराजी में अप्रार्थीगण के अपने हिस्से में फसल सिचाई के लिये बोरिंग लगा रखी है जिसमें सिंचाई के लिये अप्रार्थीगण द्वारा अपनी फसल सिंचाई के लिये अपने हिस्से में अन्दर जमीन में लाईन बिछा रखी है जिनसे अप्रार्थीगण सिंचाई करते है। उक्त विवादग्रस्त आराजीयात के तरफ उत्तर में आम रास्ता है। जो कि सरावली गांव से आता है और उसी रास्ते से प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्से की आराजी की जुताई बुबाई के लिये ट्रैक्टर एवं अन्य साधन निकलते रहे है। और वर्तमान में भी उक्त रास्ते में होकर आते जाते हैं। अर्थात प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण दोनों के खेत रास्ते की तरफ है

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

इसलिये प्रार्थीगण के पूर्वजों व भगवानसिंह राजपूत सरावली के पूर्वजों द्वारा उक्त आराजीयात का बटवारा उत्तर दक्षिण लाईन खेच कर किया था जो आज भी विद्यमान है। यह कि उक्त आराजीयात पर विवाद होने की स्थिति में गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को गांव सरावली में स्थित भैरुजी के स्थान पर एकत्रित कर प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने बताया कि भगवानसिंह राजपूत से रामसहाय, धनपाल व पून्या जाति मीना निवासी सरावली ने जो जमीन खरीदी है जिसे अरसा 45–50 वर्ष हो चुकी है तभी से अप्रार्थीगण के पूर्वज व अप्रार्थीगण काबिज काश्त शान्तिपूर्वक चले आ रहे है जिनका कब्जा काश्त बांदीकुई मण्डावर रोड की तरफ चला आ रहा है अतः जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर अर्ज है कि जवाब स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंस्थाई निषेधाज्ञा मय हर्जा खर्चा के खारिज फरमाने के आदेश देने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थीगण व अभिभाषक अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र व जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थी पक्ष की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

*212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –*

*(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या*

*(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।*

*तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।*

*(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।*

प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 के अनुसार, ग्राम सरावली तहसील मण्डावर में स्थित वादग्रस्त आराजीयात

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र खाता विभाजन तथा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार है, इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। वाद लम्बित रहने की प्रक्रिया के दौरान, अविभाजित वादग्रस्त आराजीयात में यदि अप्रार्थीगण के द्वारा बिना विभाजन हुए किसी प्रकार का निर्माण कार्य किया जाता है तो इससे वाद बहुलता तथा मौके पर विवाद बढ़ना संभावित है। इस कारण सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। वादग्रस्त आराजीयात में अप्रार्थीगण बिना विभाजन भूमि के हिस्से विशेष पर काबिज हो जाते हैं और मौके की स्थिति में बदलाव हो जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला और सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिए सम्बद्ध वाद लम्बित रहने की अवधि तक वादग्रस्त आराजीयात को अप्रार्थीगण द्वारा दुर्व्ययन करने, नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने की स्थिति से बचाने के लिये, वाद बहुलता तथा मौके पर स्थिति में बदलाव से सम्भावित विवाद रोकने के लिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है।

## आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम सरावली तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा सं. 205/755, 206, 207/756, 208/508 कुल रकबा 2.04 हैक्टे. के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 26.06.23 को, प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णीत होने तक, संपुष्ट (Confirm) किया जाता है तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णित होने तक, विवादित आराजीयात की मौके एवं राजस्व रिकार्ड की स्थिति को यथावत बनाये रखे, उसमें किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे तथा कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित नहीं करे, प्रार्थीगण के हिस्से व कब्जे की भूमि में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी बेजा ना तो स्वयं करे और ना ही किसी अन्य से ही करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 28.03.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)